व0उ0 – सरफूदीन बनाम रहीम खां
प्र0स0 :– 379/2020

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–संजीव कुमार वर्मा (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
379/2020	31/12/2020	25/11/2024

उनवान

सरफूदीन ––––:: वादीगण

बनाम

रहीम...वगै. –––:: प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गतआदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्तादीवानी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 रूल 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 (प्रार्थी) मिन जानिब वादीगण संख्या 01 की ओर से निम्न प्रकार है कि उक्त प्रकरण मे वादी द्वारा वाद मे आ.ख.न. 81 ा 0.29है0 कि बाबत वाद तकासमा का पेश किया गया है। तथा पूर्व मे भीं अन्य दो वाद व अनुवान दीन बनाम रहीम खा व अलादीन वगै0 बनाम सगरूदीन के वाद तकासमा व हु0ई0 दवामी के अदालत न मे विचाराधीन है। तथा उक्त दोनो वाद आ0ख0न0 82 रकबा 0.06है0, 83 रकबा 0.32है0, 86 रकबा है0, 87 रकबा 0.07है0, 88 रकबा 0.11है0, 63 रकबा 0.13है0, 64 रकबा 0.31है0, 68 रकबा 0.06है0, 69 ा 0.09है0, 71 रकबा 0.10है0, 72 रकबा 0.04है0, 77 रकबा 0.13है0, 79 रकबा 0.34है0 वाके ग्राम ाका तहसील तिजारा कि बाबत वाद पेश किये है। तथा पूर्व के वाद मे स्थगन आदेश की अदालत न के द्वारा जारी किया हुआ है। तथा वादी द्वारा ख0न0 84 रकबा 0.24है0 कि बाबत कोई वाद पेश किया गया है। जबकि उक्त खसरा भी सभी वादी एक प्रतिवादीगण कि शामलात कि सहखातेदारी कि जी है। ओर ख0न0 81 भी सभी सहखातेदारान कि शामलात कि आराजी है। वादी द्वारा गलत तथ्यो आधार पर तथ्यो को छिपाते हुये अदालत श्रीमान मे वाद पेश किया गया है। जो वाद कानून काबिल रेज है। वादी द्वारा Particular खसरा नम्बर की बाबत वाद पेश कियां है। जबकि कानून सभी खातेदार व समस्त यह खातेदारी का एक ही बार तकासमा होता है। Particular नम्बर का बंटवारा नूनन नही हो सकता है। ओर ख0न0 84 जो कि इन्ही समस्त सह खातेदारान की सह खातेदारी है। इस ष एक नम्बर का वाद कानूनन नही चल सकता है। ओर उक्त वाद कानून से बाधित होने के कारण rd by low है। ओर प्रारम्भिक स्टेज पर खारिज होने योग्य है। इस उक्त प्रारम्भिक स्टेज पर ही रेज किया जाना कानूनन उचित एंव न्याय संगत है। तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व माननीय

उपखण्ड अधिकारी तिजारा
जिला खैरथल तिजारा (राज0)

बयान दावा वादी की ओर से निम्न पेश है:
1– यह है कि हाल आराजी खसरा नं. 81 रकबा 0.2900 हैक्टेयर वाके ग्राम जौजाका तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) में स्थित है। उपरोक्त

न्यायालय का सिद्वांत भी यही है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त वाद कानून द्वारा त होने के कारण आदेश 7 नियम 11मे काबिल खारिज जिसको खारिज फरमाने की कृपा करे।

र्थी) वादीपक्ष की ओर से प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्तादीवानी का जवाब प्रस्तुत निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 2 जिस प्रकार बयान किया गया है, गलत है स्वीकार नही आराजी खसरा सं 82, 83, 86, 87, 88, 63, 64, 68, 69, 71, 72, 77, 79 एक ही परिवार के व्यक्तियों सहखातेदारी की आराजी है। जिसमें मिन वादी द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का वाद बअनुवान अलादीन म सगरूदीन के नाम से डाला हुआ है, जो पहले वाले वाद मे पक्षकार मुकदमा नही थे। क्योंकि उनके उनकी सहहिस्सेदारी की जमीन नही थी। ऐसी स्थिति मे उनको वाद मे शामिल नहीं किया जा ता। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 3 गलत है, स्वीकार नही है। दोनो दावे मे कॉज ऑफ एक्शन अलग है व कार तथा आराजी भी अलग है। इस कारण दोनो मुकदमे अलग–अलग डाले गये है। दरख्वास्त मे जो ण बताये गये है, वो आदेश 7 नियम 11 की परिधि मे नही आते है। प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण काबिले रिजे है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र वादी की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र श 7 नियम 11 जा0दी0 मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1) पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन है कि वादीगण का वाद खारिज किये जाने की कृपा करे।

अप्रार्थी (वादीगण) पक्ष की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता नी के तथ्यों को दोहराते हुये प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता नी को खारिज किया जाकर किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दीवानी पर बहस वकुलात सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस मनन पश्चात् प्राथी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 कार योग्य है। अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 रूल 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 कार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(संजीव कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा
जिला खैरथल तिजारा (राज0)